न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00226 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

मोर सिंह आयु 52 साल आत्मज भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. मनीष उम्र 21 साल वल्द मोरसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मानपुरा लोढ़ान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. गुड्डीबाई उम्र 23 साल पुत्री मोर सिंह पत्नी रूपचन्द, जाति लोढ़ा, निवासी मदनपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. गंगाराम वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रायसिंह वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. नारायणीबाई बेवा भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. पूरी बाई पुत्री भूरा, पत्नी छोटूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. कमलीबाई पुत्री भूरा, पत्नी मोतीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी सागोड़िया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
8. पन्नालाल पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
9. बद्धा पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00227 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

मोर सिंह आयु 52 साल आत्मज भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. मनीष उम्र 21 साल वल्द मोरसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मानपुरा लोढ़ान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. गुड्डीबाई उम्र 23 साल पुत्री मोर सिंह पत्नी रूपचन्द, जाति लोढ़ा, निवासी मदनपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. गंगाराम वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रायसिंह वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5. नारायणीबाई बेवा भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. पूरी बाई पुत्री भूरा, पत्नी छोटूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. कमलीबाई पुत्री भूरा, पत्नी मोतीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी सागोड़िया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
8. पन्नालाल पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
9. बद्धा पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्रीमती रेखा कुमारी मेहर व श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक
अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.11.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 32/दावा/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 31.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवलीबढ़ पटवार हल्का बासंखेड़ी लोढ़ान, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 60 व पुरानी 53 की खसरा नम्बरान क्रमशः 81 की 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 171 की 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 256 की 03 बिस्वा, खसरा नं. 413/12 की 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 414/13 की 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 415/241 की 3 बीघा 9 बिस्वा, कुल योग 6 किता की 12 बीघा 01 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नं. 7 पन्ना हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं. 8 बद्धा हिस्सा 1/3 एवं मृतक भूरा के जायज वारिसान एवं कायम मुकामान प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 हि0 ब0 से शामलाती खाते की पुश्तैनी आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 31.01.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति प्रमचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2019/00226 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.01.2018 जिसके द्वारा वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का वाद डिक्री होना मानकर डिक्री किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम देवलीबढ़, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 60 व पुरानी 53 की खसरा नं. 81 की 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 171 की 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 256 की 03 बिस्वा, खसरा नं. 413/12 की 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 414/13 की 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 415/241 की 3 बीघा 9 बिस्वा, कुल योग 6 किता की 12 बीघा 01 बिस्वा आराजी में मोरसिंह के खाते व हिस्से की पुश्तैनी आराजी में से वादी नं. 1 मनीष को हिस्सा 1/54 एवं वादी नं. 2 गुड्डीबाई को हिस्सा 1/54 एवं इसी ग्राम की अन्य दूसरी आराजी खतौनी संख्या नई 88 व पुरानी 80 की खसरा नं. 382/4 की 5.00 बीघा आराजी हिस्सा 1/18, 1/18 प्रत्येक वादीगण का हिस्सा अनुसार उक्त दोनों शामलाती की आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर वादीगण के उक्त दोनों खातों के हिस्सों की क्रमशः 1/54, 1/54 व 1/18, 1/18 भाग आराजीयात पृथक–पृथक खाता दर्ज करने हेतु तहसीलदार, अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन पत्र पेश करने प्रतिवादी मोरसिंह को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने की उक्त दोनों खातों की वर्णित आराजीयात का किसी भी भाग का रहन, बेचान, वसीयत आदि किसी प्रकार से अन्य को हस्तान्तरण नहीं करने दे तो उसे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर व अमान्य घोषित किया जावे। वादी फाईनल डिक्री हेतु नियमानुसार नानजूडिशियल स्टाम्प पेश करें वाद का खर्चा वादी स्वयं वहन करेंगे। बैंक रहन यथावत रहेगा। आज दिनांक 22.01.2018 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी की गई का आदेश दिया गया है जिसमें निर्णय एकपक्षीय स्वीकार किये जाने का एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री किये जाने का कोई आदेश नहीं है इसलिए कथित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधि, नियमों, प्रावधानों व पत्र संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील दिनांक 22.01.2018 की छायाप्रति प्रमाणित के अवलोकन से जाहिर होता है कि इन पर माननीय पीठासीन अधिकारी ने पहले से तैयार निर्णय व प्राथमिक डिक्री पर इन्हें पढ़े बगैर केवल हस्ताक्षर किये हैं। पत्रावली का अवलोकन और मनन ही नहीं किया है, इस तरह से उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री आरम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से अप्रास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपील प्रतिवादीगण नं. 1, 3, 9 व 10 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एवं प्रतिवादीगण नं. 2, 4, 5, 6 के विरूद्ध दिनांक 01.05.2017 व प्रतिवादी नं. 7 व 8 के विरूद्ध 28.11.2017 को बाबजूद सूचना अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही गई है अंकित किया है। निर्णय के शीर्षक एवं कथित प्राथमिक डिक्री के शीर्षक में कहीं भी कम सं. 10 अंकित ही नहीं है इससे स्पष्ट है कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ने कथित निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर अपील को बगैर पढ़े, इनका अवलोकन किये बगैर ही केवल अपने हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील पारदर्शी नहीं है संदिग्ध है एवं विश्वास किये जाने योग्य नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी नं. 1 मोरसिंह अपीलांट व प्रतिवादी नं. 3 राय सिंह को तारीख पेशी दिनांक 22.08.2016 या किसी अन्य पेशी के लिए कभी भी किसी तरह का सम्मन प्राप्त नहीं हुए । हम पर सम्मन की तामील को किसी तरह से सही माना सम्मन की तामील किस तारीख को, किस तामील कुनिन्दा द्वारा, किस गांव या स्थान पर, किन गवाहान की मौजूदगी में करवायी कथित तामील या किस आधार पर विश्वास किया गया, निर्णय में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह प्रोपर विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा करवायी गई तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत नहीं होने से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील ज्यूडिशियल नहीं है एवं अपास्त होने योग्य है।

प्रतिवादी नं. 2 गंगाराम अपीलांट का सगा भाई है। प्रतिवादी नं. 4 नारायणीबाई अपीलांट की माता जो ग्राम देवलीबढ में ही रहते हैं उन पर भी कभी भी प्रकरण के संदर्भ में किसी भी सम्मन की तामील नहीं हुई उनकी तामील किस आधार पर मानकर सही मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई अस्पष्ट होने से निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 9 सभी जाति से लोढ़ा समाज के हैं जिनमें सदियों से आज तक यह रूढि एवं परम्परा चली आ रही है कि पिता के जीवनकाल में उसकी संतान पुत्र पुत्री एवं पत्नी को विरासत का हक हासिल नहीं होता है चाहे वो अचल सम्पत्ति मौरूसी रही है या पिता की स्वअर्जित हो क्योंकि हमारी जाति समाज में नाता प्रथा है एक पत्नी अन्य व्यक्ति के यहां नाते जा सकती है पुत्री भी किसी अन्य के यहां नाता जा सकती है पुत्र भी दूसरी पत्नी से नाता कर सकता है उसकी पत्नी किसी और के यहां नाता जा सकती है इस प्रथा के निबटारे के नाम पर लाखो रूपयों का झगड़े के रूप में लेन देन होने की परम्परा है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पिता को भुगतना पडता है। इसलिए भी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील अपास्त होने योग्य है। कानूनन भी पिता के जीवित एवं मौजूद रहते हुए भी पत्नी, पुत्र, पुत्री को कोई हक विरासत नहीं होने से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील दिनांक 22.01.2018 अपास्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने कथित वादीगण व उनकी साक्ष्य से प्रति परीक्षण करने एवं स्वयं की प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर उसकी उपस्थिति में न्यायोचित निर्णय प्रदान करने के निर्देश प्रदान करें।

अपील संख्या 2019/00227 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 31.01.2018 जिसके द्वारा ग्राम देवलीबढ़, तहसील अकलेरा की नई खतौनी संख्या 60 व पुरानी 53 की कुल योग 6 किता की 12 बीघा 01 बिस्वा आराजी में वादी नं. 1 मनीष को हिस्सा 1/54 एवं वादी नं. 2 गुड्डीबाई को हिस्सा 1/54 भाग एवं अन्य दूसरी आराजी खतौनी संख्या नई 88 व पुरानी 80 की खसरा नं. 382/4 की 5.00 बीघा आराजी हिस्सा 1/18–1/18 निम्न प्रकार से पृथक से खाते किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने और वादीगण को कब्जा आराजी संभलाया जाने का आदेश खसरा नं. 415/241 की 0.08 बीघा चाही प्रथम लगान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1.80 दिशा पूर्व एवं खसरा नं. 382/4 की 0.11 बीघा बारानी सोयम लगान 0.30 पैसे पूर्व दिशा वादीगण मनीष पुत्र मोरसिंह, गुड्डीबाई पुत्री मोरसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी मदनपुरिया के दर्ज करने हेतु सादिर की है विधि, नियम व प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा पारित निर्णय का परिशीलन किये बगैर कथित प्रस्तावित विभाजन पत्र के सम्बन्ध में अपीलांट एवं अन्य रेकार्डेड सहखातेदारान को सूचित किये बगैर उनकी आपत्तियां सुने बगैर नियम विरूद्ध बनाये गये विभाजन पत्र पर विश्वास करके फाईनल डिक्री जैर अपील सादिर करने में भूल की है।

माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की रोशनी में स्वयं तहसीलदार अकलेरा को मौके पर जाकर समस्त सहखातेदारान को दोनों खातों की आराजी पर बुलाकर स्वयं के द्वारा उनकी आपत्तियां सुनकर उनकी मौजूदगी में मापतोल करके पेपर पार्टीशन कर उनके दस्तखत अंगूठे करवाकर प्रस्तावित विभाजन पत्र उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को भिजवाने का आज्ञापक प्रावधान है। मगर तहसीलदार अकलेरा ने प्रावधानों की कोई पालना नहीं की, सिर्फ नि. भू. अभिलेख सरडा ने दिनांक 31.01.2018 को पटवारी हल्का बासखेडी लोढ़ान द्वारा समस्त खातेदारान को सूचना दिये बगैर उनकी अनुपस्थिति में केवल वादी मनीष की उपस्थिति में व असंबध व अज्ञात भैरूलाल, शिवलाल के हस्ताक्षर कर खसरा नं. 415/241 रकबा 0.08 चाही प्रथम दिशा पूर्व व खसरा नं. 382/4 की 0.11 बारानी सोयम दिशा पूर्व वादीगण मनीष, गुड्डी के खाते बहिस्सा बनाकर मनीष वादी की इच्छानुसार पेपर पार्टीशन कर तहसीलदार अकलेरा को भिजवा दिया, जिस पर मौके पर जाये बगैर ही प्रमाणित लिखकर लघु हस्ताक्षर कर अपनी मोहर लगाकर और पत्र क्रमांक 168/राजस्व 17 के अनुसार दिनांक 31.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को भिजवा दिया, जिसमें मूल रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल का सलंग्न होना प्रतीत होता है। यह विभाजन पत्र संदिग्ध है विश्वसनीय नहीं है जो पत्र संख्या 168/राजस्व सन् 2017 के जर्ये 31.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जाना बताया हास्यास्पद है इस पत्र एवं प्रस्तावित विभाजन पत्र पर गौर फरमाये बगैर फाईनल डिक्री जैर अपील सादिर करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

रेस्पोडेंट वादी नं. 1 व 2 ने अवैध प्रक्रिया द्वारा नामान्तरकरण नं. 392 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा दोनों खातों में अपने हक में अमल करवा लिया है जो विधि विरूद्ध है एवं डिलीट होने योग्य है एवं दोनों खाते की 21.01.2018 से पूर्व की प्रविष्टियां बहाल होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सादिर फाईनल डिक्री जैर अपील दिनांक 31.01.2018 किये जाने एवं उसके आधार पर खाता सं. 88 व पुराना 80 बाबत 5.00 बीघा एवं खाता सं. नया 60 व पुराना 53 रकबा 12.01 बीघा पर इन्तकाल नं. 345 ग्राम देवलीबढ़ दिनांक 14.11.2018 को किया गया है इन अंकन को रद्द कर डिलीट किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22.08.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मोरसिंह व मनीष पिता–पुत्र है। लोढ़ा जाति में नाता प्रथा चलती है। जिसमें पिता के जीवनकाल में चाहे पैतृक सम्पत्ति हो या स्वअर्जित सम्पत्ति हो बंटवारा नहीं होता है। ये जातिगत प्रथा है, कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 व 3 की तामील नहीं हुई है। प्रतिवादी नं. 10 का निर्णय में अंकन नहीं है और उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है, पिता के जीवनकाल में पुत्र/पुत्री एवं पत्नी बंटवारा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सभी सम्मन एक ही व्यक्ति को दिये गये, सभी सम्मन पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है, इस प्रकार व्यक्तिगत तामील नहीं हुई है। प्राथमिक डिक्री गलत है तो फाईनल डिक्री मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील रिमाण्ड की जाकर जवाब व साक्ष्य का मौका दिया जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम देवलीबढ सम्वत 2069–2072 खाता सं. नई 60 व पुराना 53 एक्जीविट पी. 1 व खाता संख्या नई 88 व पुरानी 80 एक्जीविट पी. 2 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 345 ग्राम देवलीबढ एक्जीविट पी. 3 के आधार पर विवादित आराजी को पैतृक मानते हुए वादी का वाद स्वीकार कर अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 जारी कर दोनों खातों की शामलाती आराजी में वादीगण के हिस्से अनुसार खातेदार टीनेन्ट घोषित कर तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करने हेतु आदेश जारी किया। अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 के विरूद्ध अपील संख्या 2019/00226 प्रस्तुत कर कथन किया है कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट को तामील नहीं हुई उसने प्रकरण में किसी भी रूप में भाग नहीं लिया। उसने किसी को अपना वकील या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया। अपीलांट का किसी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मनों के अवलोकन से अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होना नहीं पाया गया। अपीलांट के नाम दिनांक 17.05.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 20.04.2016 को जारी सम्मन की तामील अपीलांट के भाई गंगाराम जो प्रतिवादी नं. 2 के रूप में स्वयं वाद में पक्षकार है पर होना स्पष्ट होता है। गवाह के रूप में कालूलाल के हस्ताक्षर सम्मन पर करवाये हुए हैं। सी.पी.सी. के आर्डर 5 नियम 15 के अनुसार कुटुम्ब के किसी व्यवस्क सदस्य पर सम्मन की तामील का प्रावधान है। सम्मन तामील के पश्चात् विचारण न्यायालय में उपस्थित होना एवं अपना पक्ष रखना अपीलांट का वैधानिक दायित्व था जिसकी पालना अपीलांट द्वारा नहीं की गई। अपने वैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व बयान गवाह के आधार पर विवादित पैतृक सम्पत्ति में निहित वादीगण के हक व हिस्से के अनुसार वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित कर वादीगण के हिस्से के अनुसार पृथक पृथक खाता दर्ज करने हेतु निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2018 जारी की।

अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि कानूनन पिता के जीवित रहते हुए पत्नी, पुत्र, पुत्री, को कोई हक विरास्तत प्राप्त नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर अपील अपास्त होने योग्य है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण द्वारा वादपत्र की मद नं. 3 में अंकित किया कि वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी के सहखातेदार वादीगण के पिता मोरसिंह अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 शराब पीने के बुरे व्यसन में पूरी तरह से फंसा हुआ है तथा किसी भी प्रकार का कोई काम धन्धा नहीं करता है और अपनी शराब पीने की बुरी लत को पूरा करने के लिए उक्त दोनों खातों की आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान आदि से अन्तरण, हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करना चाहता है। वादीगण के इस कथन की पुष्टि साक्ष्य वादी में प्रस्तुत गवाह रामचन्द्र आत्मज पन्नालाल के गवाह शपथ पत्र से भी होती है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी आराजी स्वीकार कर वादीगण का जन्मजात हिस्सा निहित मानते हुए निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 जारी की है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2018 के द्वारा तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित करने पर तहसीलदार अकलेरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2018 जारी कर वादीगण के हिस्से की आराजी को पृथक खाते दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व अंतिम डिक्री के संदर्भ में अपीलांट का कथन है कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के संबंध में अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान को सूचित किये बगैर

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उनकी आपत्तियां सुने बगैर नियम विरूद्ध बनाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के क्रम में सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः अपीलांट का यह कथन की उन्हें सुने बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये जो विधि सम्मत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर वादी नं. 1 के हस्ताक्षर अंकित है अर्थात विभाजन प्रस्ताव वादी की उपस्थिति में तैयार किया गया और वादी विभाजन प्रस्ताव से सहमत था। प्रस्तुत अपील मात्र प्रतिवादी नं. 1 जो वादीगण का पिता है के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है अन्य प्रतिवादीगण ने ना तो अपील प्रस्तुत की और ना ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्रियों के विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00226 एवं 2019/00227 अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के विवादित पैतृक सम्पत्ति में निहित जन्मजात हक व हिस्से को ध्यान में रखकर जारी किये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 31.01.2018 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या
2019/00226
मोर सिंह आयु 52 साल आत्मज भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
..... **अपीलांट**

1. मनीष उम्र 21 साल वल्द मोरसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मानपुरा लोढ़ान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. गुड्डीबाई उम्र 23 साल पुत्री मोर सिंह पत्नी रूपचन्द, जाति लोढ़ा, निवासी मदनपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. गंगाराम वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रायसिंह वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. नारायणीबाई बेवा भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. पूरी बाई पुत्री भूरा, पत्नी छोटूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. कमलीबाई पुत्री भूरा, पत्नी मोतीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी सागोड़िया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
8. पन्नालाल पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
9. बद्धा पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या
2019/00227
मोर सिंह आयु 52 साल आत्मज भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
..... **अपीलांट**

बनाम

1. मनीष उम्र 21 साल वल्द मोरसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मानपुरा लोढ़ान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. गुड्डीबाई उम्र 23 साल पुत्री मोर सिंह पत्नी रूपचन्द, जाति लोढ़ा, निवासी मदनपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. गंगाराम वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रायसिंह वल्द भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. नारायणीबाई बेवा भूरा, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. पूरी बाई पुत्री भूरा, पत्नी छोटूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. कमलीबाई पुत्री भूरा, पत्नी मोतीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी सागोड़िया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
8. पन्नालाल पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
9. बद्धा पुत्र नाथू, जाति लोढ़ा, निवासी देवलीबढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2019/00226, 2019/00227** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं **32/दावा/2016** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक **22.01.2018** एवं
फाईनल डिक्री दिनांक **31.01.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह 11 सन् 2024

हाजरी **श्रीमती रेखा कुमारी मेहर व श्री श्याम सुन्दर शर्मा II** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00226 एवं 2019/00227 अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के विवादित पैतृक सम्पत्ति में निहित जन्मजात हक व हिस्से को ध्यान में रखकर जारी किये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 31.01.2018 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण यथावत रखे जाते हैं ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 27 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)